<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 11/2019 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
GCMS NO : 2019/00055

<u>अनवान</u>

1. श्री पिथाराम पिता थावरा अहारी (मीणा), निवासी असारीवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

— प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. श्री कालूराम पिता कुराजी मीणा, निवासी असारीवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला—उदयपुर।

— विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री नरेन्द्र चित्तौड़ा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970</u>
<u>बावत आवंटन निरस्त कराये जाने</u>

*** <u>निर्णय</u> ***

दिनांक 30-09-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा असारीवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर मे आराजी संख्या 2728 रकबा 0.1700 हेक्टेयर एवं 2758 रकबा 0.2800 हेक्टेयर भूमि स्थित हैं, जो प्रारंभ से ही काश्त योग्य नहीं थी। उक्त आराजीयात का आंवटन केम्प मे विपक्षी संख्या 1 के राजकीय सेवा मे होने के बावजूद पटवारी हल्का से मिलीभगत कर दिनांक 19.06.1989 को किया गया, जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा था। आराजी नंबर 2758 पर प्रार्थी का मकान बना होकर चारों ओर बाउण्ड्रीवॉल बनी हुई है। इस भूमि पर प्रार्थी को धारा 91, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का नोटिस प्राप्त हुआ है तथा प्रार्थी ने पेनाल्टी भी अदा की है। इस जमीन पर प्रार्थी के पशु चरते हैं तथा पशुओं के लिए घास के काम आ रही है। कथित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का एक भी दिन कब्जा नही रहा है। विपक्षी संख्या 1 का मकान व जमीन कथित भूमि से करीब आधा किलोमीटर दूर है। वक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 सी.आर.पी.एफ. में सरकारी नौकरी करता था तथा अब उसे पेन्शन शुरू हुई है। विपक्षी संख्या 1 आवंटन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:54 IST
Reason: SelfAttested

दिन भूमिहीन काश्तकार नहीं था। कथित आंवटन नियमों के विपरीत किया गया है एवं आवंटन पश्चात् विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त जमीन पर एक भी दिन काश्त नही की गयी हैं, जो स्पष्ट रूप से आवंटन शर्तो की अवहेलना की है। आवंटन के समय न तो कोरम पूर्ण था और न ही आवंटन से पूर्व कोई उद्घोषणा पत्र जारी किया गया। कथित आवंटन मिसरिप्रजेन्टेशन से हुआ है। आवंटन से पूर्व कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई एवं न ही सार्वजनिक स्थल पर चस्पा की गई। अतः आवंटन नियम विरूद्ध होने से मौजा असारीवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर के आराजी संख्या 2728 रकबा 0.1700 हेक्टेयर एवं 2758 रकबा 0.2800 हेक्टेयर भूमि कुल किता 2 रकबा 0.4500 हेक्टेयर भूमि पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किये गये आवंटन दिनांक 19.06.1989 को खारिज किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चित्तौड़ा द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया कि मौजा असारीवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर के आराजी संख्या 2728 रकबा 0.1700 हेक्टेयर एवं 2758 रकबा 0.2800 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.4500 हेक्टेयर भूमि विधिवत रूप से आंवटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 19.06.1989 को आवंटित की गई। विपक्षी संख्या 1 आवंटन के दिन भूमिहीन काश्तकार था। आवंटन के समय कोरम का पूर्ण होने तथा पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का अपनाई जाकर भूमि का आवंटन किया गया है तथा आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना की जाकर विपक्षी संख्या 1 द्वारा लगातार काश्त की जा रही है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना करने पर विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार खेरवाड़ा ने गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार विधिवत रूप से प्रदान किये है, जिसकों प्रार्थी ने कभी चेलेन्ज नही किया है। 30 वर्ष पश्चात प्रार्थी का विपक्षी संख्या 1 के साथ झगड़ा हो जाने से द्वेषतावश प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 की भूमि हड़पने की नियत से गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर एक इन्च मात्र भाग पर भी कब्जा नही है, न ही प्रार्थी का उक्त भूमि पर कोई मकान बना हुआ है तथा न ही उक्त भूमि पर प्रार्थी के पशु चरते है। आवंटन मे कोई मिसरिप्रजन्टेशन नही हुआ हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जाकर उक्त आवंटन को यथावत रखा जावें। प्रकरण मे जवाब विपक्षी संख्या 1 प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी खेरवाड़ा से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 334/1989 तलब की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 16:45:54 IST
Reason: SelfAttested

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुये। बहस प्रारंभ करते हुये प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहराते हुये

कथित भूमि पर प्रार्थी का पुराना कब्जा होना, वक्त आवंटन आवंटी का राजकीय सेवा मे होना, भूमि काश्त योग्य न होना, आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण न होना, प्रार्थी का पुराना मकान बना होना, उद्घोषणा जारी न होना, आवंटन से पूर्व ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार न होना, आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न होना, आवंटन मे मिसरिप्रजेन्टेशन होना आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने की मांग की। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कियेः–

- आर.आर.टी. 2001 (1) पृष्ठ संख्या 26
- आर.बी.जे. 2000 पृष्ठ संख्या 327
- आर.आर.ड़ी. 1994 पृष्ठ संख्या 376
- आर.आर.टी. 2009(2) पृष्ठ संख्या 1220
- आर.बी.जे. 2014(21) पृष्ठ संख्या 120
- आर.आर.टी. 2005(1) पृष्ठ संख्या 83
- आर.आर.टी. 2007(2) पृष्ठ संख्या 1048

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए अपने जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, मौके पर विपक्षी संख्या 1 का मकान बना होना, आवंटन के करीब 30 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात् प्रार्थी द्वारा आवंटन निरस्ती बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना, वक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 का भूमिहीन काश्तकार होना एवं राजकीय सेवा मे न होना, आवंटन मे पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का अपनाया जाना अवगत कराया एवं अनुरोध किया कि विपक्षी संख्या 1 को आवंटित कथित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात इस न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। प्रार्थी ट्रेसपासर है एवं ट्रेसपासर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

- आर.आर.टी. 2009(1) पृष्ठ संख्या 220
- आर.आर.टी. 2017(2) पृष्ठ संख्या 938

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 के जवाब, आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टान्त आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त आवंटन पत्रावली संख्या 334/1989 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 कालुराम पिता कुरा जी मीणा द्वारा मौजा अरनोड़ा, तहसील खेरवाड़ा की आराजी संख्या 2728 रकबा 0.1700 हेक्टेयर एवं 2758 रकबा 0.2800 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:54 IST
Reason: SelfAttested

0.4500 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की जांच उपरान्त जरिये आवंटन पत्रावली संख्या 334/1989 उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को किया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट मे आवंटी को असारीवाड़ा का निवासी होने एवं राज्य सेवा मे न होने का उल्लेख हैं। आवंटन उपरान्त आवंटी को विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है। उक्त आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं एवं भूमिधारक तहसीलदार की ओर से कोई आपत्ति/आवंटन निरस्त करने हेतु कोई प्रार्थना नही की है। आवंटन प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य छुपाये गये, ऐसा कोई साक्ष्य नही है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण में प्रार्थी द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी राजस्व रेकर्ड इत्यादि सलंग्न किया है और न ही उक्त आराजीयात के धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थी का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थी का कब्जा साबित करती। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत धारा 91 के नोटिस की प्रति विवादित आराजीयात की ना होकर अन्य आराजीयात की है। विपक्षी संख्या 1 वर्तमान मे उक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार है। खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना के फलस्वरूप ही प्रदान किये जाते है। आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न की गई हो ऐसा कोई दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी आदि भी प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही की गई है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त किसी भी खातेदार के आवंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल करना विधिसम्मत नही पाया जाता हैं। प्रार्थी द्वारा आवंटन के लगभग 30 वर्ष उपरान्त उक्त प्रा.पत्र पेश किया हैं। प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि वक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 राजकीय सेवा मे था एवं केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा जारी पी.पी.ओ. की छायाप्रति प्रस्तुत की है। पी.पी.ओ. की छायाप्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, किन्तु उक्त पी.पी.ओ. मे कहीं पर भी नियुक्ति तिथि का उल्लेख नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि वक्त आवंटन तिथि को विपक्षी संख्या 1 राजकीय सेवा मे हो। राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 [illegible] 11 मे आवंटन के लिये पात्रता तथा प्राथमिकताए वर्णित हैं। नि[illegible] (3)(छ) मे [illegible] वर्णित है कि *''सशस्त्र सेना (या सीमा सुरक्षा बल) का अनायुक्त [illegible] से कम की सेवा न की हो''* ऐसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:54 IST
Reason: SelfAttested

व्यक्तियों को भी आवंटन का पात्र माना गया हैं। आवंटन के समय विपक्षी संख्या 1 यदि राजकीय सेवा मे सी.आर.पी.एफ. मे भी कार्यरत था, तो भी वक्त आवंटन उसकी सेवा 5 वर्ष की पूर्ण हुई थी अथवा नहीं? इस संबंध मे भी कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश नहीं किया गया है। आवंटन के 30 वर्ष पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब का समुचित कारण भी प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा नही बताया गया हैं। बिना किसी समुचित आधार के आवंटन को निरस्त करना ''ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस'' होगा। विपक्षी स. 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा होते हैं। इस प्रकार समस्त तथ्यों पर विवेचन उपरान्त कथित आवंटन मे कोई त्रुटि प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित न होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन पाया जाने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा असारीवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा की आराजी संख्या 2728 रकबा 0.1700 हेक्टेयर एवं 2758 रकबा 0.2800 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.4500 हेक्टेयर भूमि पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.10.05 11:45:54 IST
Reason: SelfAttested